कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, जयनगर ।

Email ID- **rwdjainagar@gmail.com** Mob.- **8986915802**

पत्रांकः– 1264 जयनगर/दिनांकः– 17.08.25

प्रेषक,

कार्यपालक अभिंयता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, जयनगर।

सेवा में,

नोडल पदाधिकारी,
State MIS
ग्रामीण कार्य विभाग,
बिहार, पटना।

बिषयः– State MIS पर **Revised road** का नाम जोड़ने के **संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि **State MIS** में **MMGSY GEN** योजना अंतर्गत **Revised पथ** का जोड़ने की कृपा की जाये, जिसकी सूचि इस पत्र के साथ संलग्न है | सूचनार्थ एवं आवश्यक करवाई हेतु सदर समर्पित |

अनुलग्नकः– यथोक्त।

विश्वासभाजन

17/8/25

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, जयनगर |

Scanned with OKEN Scanner

RWD WORKS DIVISION,JAYNAGAR							
SL NO	BLOCK	NAME OF ROADS	LENGTH (IN KM)	YEAR	Revised Administrative Approval		Revised T.s Amount(in lakh)
					Department Ref Letter No & date	Total Cost(in Lakh)	
1	Babubarhi	PMGSY Road Hanuman Nagar to Jamuniya Madhya tol(Rescined)	0.666	2024-25	676/15.07.19	57.795	63.87

14/8/25

Executive Engineer
RWD, Works Division, Jaynagar

परिशिष्ट 'क'

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, जयनगर के अधीन शीर्ष MMGSY (Gen) योजनान्तर्गत पुनरीक्षित प्रावैधिक स्वीकृति प्रदत पथ की सूचीः–

Sl No.	Name of Division	Name of Scheme	Length (in k.m.)	Revised Administrative Approval		Revised T.S Amount (in lakh)
				Department Ref Lett. No. & Date	Total cost (in lakh)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Jaynagar	PMGSY Road Hanuman Nagar To Jamuniya Madhya Tol	0.666	676/15.07.19	57.795	63.870

Chief Engineer-6
R.W.D,

योजना का नामः– परिशिष्ट 'क' के स्तम्भ 03 के अनुसार

प्रशासनिक स्वीकृति की राशि एवं प्रसंगः– परिशिष्ट 'क' के स्तम्भ 05 से 06 के अनुसार।

विवरणी

1. **पुनरीक्षित प्रावैधिक स्वीकृति की राशि परिशिष्ट 'क'** के स्तम्भ 07 में अंकित राशि पर सीमित की गई है। योजना के कार्यान्वियन के क्रम में व्यय की राशि स्वीकृत प्रावैधिक की राशि से अधिक नहीं होगा।
2. प्राक्कलन की स्वीकृति से दरों की स्वीकृति कदापि नहीं समझा जाये।
3. निर्माण कार्य **MMGSY योजना** की मार्गदर्शिका के अनुरूप किया जाएगा।
4. प्राक्कलन की भाषा संक्षिप्त और प्रतीकात्मक मात्र है, यह अपने आप में पूर्ण नहीं है। अतः परिमाण विपत्र तैयार करते समय पूर्ण विशिष्टि लिखी जाये ताकि संवेदक किसी प्रकार का अनुचित लाभ न उठा सके।
5. कार्यारम्भ करने से पहले अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, मधुबनी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी कि वे स्वंय कार्य स्थल का निरीक्षण कर संतुष्ट हो लें, कि स्वीकृत प्राक्कलन में प्रस्तावित पुल/पुलिया कार्य स्थल की आवश्यकता के अनुरूप है, क्योंकि प्राप्त प्रस्ताव को अपर्याप्त जलीय आंकडा की अनुपलब्धता की स्थिति में अनुमोदित किया गया है। यदि इनके निरूपण/विस्तृत आरेखन की आवश्यकता समझते हों तो सक्षम प्राधिकार से इसकी स्वीकृति प्राप्त कर ली जाए तथा उनके प्रस्ताव में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, इसके स्थल चयन आकार प्रकार की जिम्मेवारी पूरी तरह से अधीक्षण अभियंता की होगी।
6. प्रावैधिक स्वीकृति की राशि के अन्तर्गत योजना के कार्यान्वयन में प्राथमिकता निम्न प्रकार से दी जायेगीः–

   प्रस्तावित स्थलों पर पुल/पुलियों का निर्माण
   अंतिम लेयर छोड़कर पथ बांध की मिट्टी कार्य

7. कार्य प्रारंभ करने के पूर्व पथ के सतह की प्रिसेक्सन एवं प्री–लेवल निगरानी विभाग के परिपत्र के अनुसार कर लेंगे।
8. पथ निर्माण के लिए एस0क्यू0एम0 द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुरूप कराया जाय।
9. मिट्टी की गणना की मात्रा एवं लागत प्राक्कलन के साथ संलग्न लम्ब काट एवं आड़ी काट के आधार पर किया गया एवं जमीन उपलब्ध है, इसे मानते हुए गणना की गयी है।
10. मिट्टी कार्य, पुलिया कार्य में पथ बाँध का स्लोप स्वीकृत प्राक्कलन के अनुरूप रखा जाय तथा मिट्टी की चपाई विशिष्टि के अनुरूप किया जाये।
11. निर्माण में व्यवहृत सामग्री एव स्वीकृत मदों के कार्यान्वियन में **Rural Roads Specification Rural Roads Manual (IRC SP :20) तथा IRC SP :72 एवं IRC SP :62** की विशिष्टि का अनुसरण किया जाये।
12. मिट्टी कार्य पुलिया कार्य स्वीकृत प्राक्कलन के अनुसार पूर्ण होने के पश्चात अधीक्षण अभियंता स्वयं निरीक्षण कर संतुष्ट हो लेंगे, तत्पश्चात ही आगे कार्य कराने की स्वीकृति देंगे।
13. विभिन्न मदों की स्वीकृत परिमाण में कोई वृद्धि अनुमान्य सीमा से अधिक पूर्वानुमति के बिना नहीं किया जाये।
14. पथों के निर्माण में कैम्बर, ग्रैडियंट आदि पर पूर्ण ध्यान दिया जाये।
15. अधीक्षण अभियंता सामग्रियों की ढुलाई के संदर्भ में वास्तविक दूरी, परिमाण से आश्वस्त हो लेंगे, तदोपरान्त ही निविदा संबंधी कार्रवाई की जाये।

Scanned with OKEN Scanner

ग्रामीण कार्य विभाग।

पत्रांक– 1339 अनु0
प्रेषक,

/पटना, दिनांक– 18.11.24

ई0 किशोर कुमार
मुख्य अभियंता–6

सेवा में,

अधीक्षण अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, **मधुबनी।**

विषयः– ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, **जयनगर** के अधीन शीर्ष **MMGSY (Gen)** योजनान्तर्गत स्वीकृत कुल **01** (एक) अदद पथ के निर्माण कार्य के पुनरीक्षित प्राक्कलन पर पुनरीक्षित प्रावैधिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

प्रसंगः– आपका पत्रांक-923 अनु0, दिनांक **26.09.2024** विभागीय पत्रांक–BRRDA(HQ)-MMGSY-218/2018-676 दिनांक–15.07.19

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय प्रासंगिक पत्रों के आलोक में कार्य प्रमण्डल, **जयनगर** के अधीन शीर्ष **MMGSY (Gen)** योजनान्तर्गत प्राप्त कुल **01 (एक)** अदद पथ का पुनरीक्षित प्राक्कलन पुनरीक्षित प्रावैधिक स्वीकृति प्रदान कर लौटाया जा रहा है। पथ **का नाम, प्रशासनिक अनुमोदन** की राशि एवं प्रसंग तथा पुनरीक्षित प्रावैधिक स्वीकृति की राशि पत्र **के परिशिष्ट 'क'** के क्रमशः **स्तम्भ**–3, 5 से 6 एवं 7 में अंकित हैं।

2. **प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त है**, जो कि पत्र के **परिशिष्ट 'क'** के स्तम्भ **05** से **06** में अंकित है।
3. निर्माण कार्य **MMGSY** की मार्गदर्शिका के अनुरूप किया जाएगा।
4. स्वीकृत प्राक्कलन की जाँच अधीक्षण अभियंता अपनी स्तर से भी कर लेंगे। यदि किसी प्रकार के संशोधन आवश्यकता हो तो मुख्यालय को सूचित करेंगे।
5. स्थल निरीक्षण के आधार पर यह सुनिश्चित किया जाये कि प्रावधानित पुल/पुलियों स्थल के आवश्यकता के अनुरूप है। स्थल के अनुरूप नहीं होने पर मुख्यालय को सूचित किया जाये।
6. अधीक्षण अभियंता पथों का निरीक्षण प्रतिवेदन एव कार्यों के संबंध में समीक्षात्मक टिप्पणी मुख्यालय को प्रत्येक माह की 5वीं तिथि को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
7. प्राक्कलन की स्वीकृति को दरों की स्वीकृति न समझी जाए।
8. अधीक्षण अभियंता, ग्रा0का0वि0, कार्य अंचल, **मधुबनी** ऐसे मदों के दर, जो अनुसूचित दर में नहीं है, का दर विश्लेषण केन्द्रीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति के संयोजक एवं उनके सभी सदस्य को भेजेंगे और समिति की अगली बैठक में उनका अनुमोदन प्राप्त कर लेंगे।
9. सामग्रियों की ढुलाई निर्धारित रेल हेड के लोडिंग/अनलोडिंग स्थल तक रेलमार्ग से एवं तत्पश्चात् वहां से कार्य स्थल तक ट्रक द्वारा तथा क्वैरी से सीधे कार्य स्थल तक सड़क मार्ग द्वारा दर विश्लेषण कर उक्त दोनों स्थिति की कैरेज कोस्ट की तुलनात्मक विवरणी तैयार कर उसमें से न्यूनतम दर का प्रावधान करते हुए अधीक्षण अभियंता परिमाण विपत्र अनुमोदित करेंगे।
10. स्थल पदाधिकारी द्वारा लम्ब काट एवं आड़ी काट के आधार पर मिट्टी की मात्रा की गणना कर भुगतान किया जायेगा।
11. मूल तकनीकी स्वीकृति प्रदत्त प्राक्कलन इस पुनरीक्षित प्राक्कलन का भाग होगा।
12. अधीक्षण अभियंता प्राक्कलन में प्रावधानित विभिन्न कार्यों से संबंधित मदों का परिमाण, दर एवं इकाई की अपने स्तर से जॉच कर लेंगे। **मूल एकरारनामा के दरों** के आधार पर ही विभिन्न मदों के दर का निर्धारण सुनिश्चित किया जाय। यदि किसी प्रकार की संशोधन की आवश्यकता हो तो मुख्य अभियंता को अविलंब सुचित करेंगे।
13. पत्र के साथ **प्रावैधिक टिप्पणी** की प्रति संलग्न है।

अनु0– परिशिष्ट ''क'' एवं स्वीकृत पुनरीक्षित प्राक्कलन की मूल प्रति।

विश्वासभाजन,
ह0/–
मुख्य अभियंता–6

ज्ञापांक– 1339 /पटना, दिनांक– 18.11.24

प्रतिलिपिः– कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, जयनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Kishor 18/11/24
मुख्य अभियंता–6

D:\Office 29-07-2022\CE-2 Work\All Scheme\TS\Revised TS\NEW TS\Revised TS.Docx

Scanned with OKEN Scanner

आंतरिक वित्तीय सलाहकार द्वारा अनौपचारिक रूप से परामर्शित

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक–BRRDA(HQ)-MMGSY-218/2018 676 / पटना, दिनांक– 15.7.19

प्रेषक,

मो० सोहैल, भा०प्र०से०
अपर सचिव,
ग्रामीण कार्य विभाग।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

विषय : योजना शीर्ष 4515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय (सामान्य)–लघु शीर्ष–103 – ग्राम विकास राज्य योजना उप शीर्ष–0113, अनुसूचित जाति–लघु शीर्ष–789 ग्राम विकास राज्य योजना उप शीर्ष–0104 एवं अनुसूचित जनजाति–लघु शीर्ष–796 ग्राम विकास राज्य योजना उप शीर्ष–0109 मुख्यमंत्री ग्राम संम्पर्क योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए निम्न योजनाओं के निर्माण कार्य हेतु सूची के स्तम्भ–9 में अंकित राशि की पथवार प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किये जाने के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष **2019–20** (सामान्य) के लिए कार्य प्रमंडल, **जयनगर** के अधीन कुल **19 (उन्नीस)** योजनाओं के निर्माण एवं पंचवर्षीय अनुरक्षण कार्य सहित निम्न तालिका के स्तम्भ–9 में अंकित राशि की पथवार प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किया जाता है:–

Sl No.	Division	Block	Category	Name of Road	Priority no of Core Network	Length (In km)	Total Population Served	Administrative Approval Amount (In Lakhs)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Jaynagar	Babubarhi	Gen	PWD Road Shankarpur to Pachrukhi Madhya Tol	77	1.395	571	110.530
2	Jaynagar	Babubarhi	Gen	PWD Road to Mahadalit Tol Via Amol Bandhi Tol	16	0.913	341	70.210
3	Jaynagar	Babubarhi	Gen	Chhaurhi Main Road to Auraha Primary School	31	1.524	298	130.530
4	Jaynagar	Babubarhi	Gen	Babubarhi Got to Navtoli	14	0.975	312	73.920
5	Jaynagar	Babubarhi	Gen	Dewara PMGSY Road to Dewara Alpsankhyak Tola	45	0.792	281	65.708
6	Jaynagar	Babubarhi	Gen	Babubarhi Got to Babubarhi Idgah Tol	15	0.702	300	57.280
7	Jaynagar	Babubarhi	Gen	PMGSY Road Hanuman Nagar to Jamuniya Madhya tol	36	0.666	312	57.795
8	Jaynagar	Babubarhi	Gen	MMGSY Path to Ramnipatti Purbi Tola	79	0.671	279	46.556
9	Jaynagar	Babubarhi	Gen	PMGSY to Barhara Alpsankhyak	109	0.528	425	44.757
10	Jaynagar	Babubarhi	Gen	Maheshwara Sadak Via Dakshin Rai Tola Via Brahm Sthan to Maheshwara Pokhar Tak	7	0.843	2436	62.645
			Total			9.009		719.931

Sl No.	Division	Block	Category	Name of Road	Priority no of Core Network	Length (In km)	Total Population Served	Administrative Approval Amount (In Lakhs)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	Jaynagar	Ladaniya	Gen	Imali Per to Sonapur Dhobi Tola	185	1.583	350	122.980
12	Jaynagar	Ladaniya	Gen	Bhurkuriya to Sonmati Via Dhatta Tol	13	1.204	915	95.440
13	Jaynagar	Ladaniya	Gen	PMGSY Mahta Ghuran Chaudhary to Laxminiya Seema	29	1.285	716	97.480
14	Jaynagar	Ladaniya	Gen	Sahorwa Middle School to Bagulwa Sahu Tol	117	2.700	389	208.480
15	Jaynagar	Ladaniya	Gen	PWD Khajedih Chowk to Chiknotwa Via Bishanpur	33	1.140	661	87.370
16	Jaynagar	Ladaniya	Gen	Gadha MMGSY to Mahadalit Tola Janak Sadaye Ke Ghar	137	1.485	365	123.550
17	Jaynagar	Ladaniya	Gen	Kabilasa to PMGSY Road Bhagwatisthan	26	1.461	731	109.570
18	Jaynagar	Ladaniya	Gen	Wirandawan Mahadalit Tola to Gewal	106	0.842	435	69.044
19	Jaynagar	Ladaniya	Gen	Bhagwatisthan Sidhpa Kala PWD to Kadam Gachhi Kacahi Tak	156	0.660	330	52.209
			Total			**12.360**		**966.123**
		Grand Total				**21.369**		**1686.054**

2. विभागीय सचिव द्वारा दिनांक **05.06.2019** को निम्न शर्तों के साथ इन योजनाओं की स्वीकृति प्रदान की गई है:–

(क) **इन** योजनाओं को दो वित्तीय वर्ष, अर्थात वर्ष **2019–20** एवं वर्ष **2020–21** में पूरा किये जाने का लक्ष्य है।

(ख) कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, **जयनगर** योजनाओं के विस्तृत कार्य योजना तैयार करेंगे तथा उसके अनुरूप कार्यों को समयबद्ध ढंग से पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगे।

(ग) स्वीकृत योजनाओं की प्रविष्टि राज्य कोर नेटवर्क के मानचित्र पर भी कर लिया जायेगा।

(घ) कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, **जयनगर** सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत पथ किसी अन्य योजना के अन्तर्गत सम्मिलित नहीं है।

3. कार्य ई–निविदा के माध्यम से Standard Bidding Document के आधार पर कराया जायेगा।

4. इन योजनाओं के चयन के प्रस्ताव पर माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना का अनुमोदन संचिका संख्या– BRRDA(HQ)-MMGSY-**44/2013** के पृष्ठ–**74**/टि0 पर प्राप्त है।

5. सारणी में अंकित उक्त योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति के प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार सचिव महोदय, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना द्वारा दिनांक–**05.06.2019** को संचिका संख्या–BRRDA(HQ)-MMGSY-**218/2018** के पृष्ठ–**09**/टि0 पर अनुमोदन प्राप्त है।

6. योजना के कार्यान्वयन के पूर्व डी0पी0आर0 पर कार्यपालक अभियंता द्वारा सक्षम प्राधिकार से प्रावैधिक स्वीकृति प्राप्त कर ली जायेगी।

7. योजनाओं की तकनीकी स्वीकृति प्रदान किये जाने के क्रम में प्रावधानित प्रत्येक मद की संभाव्यता की जाँच सक्षम प्राधिकार द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

8. (क) ब्राडा के लिए निर्धारित प्रावधान/प्रक्रिया के आलोक में बजट प्रावधान के अंतर्गत राशि की निकासी की जाएगी।

(ख) कार्यपालक अभियंता (PIU) का उत्तरदायित्व होगा कि कार्यो का विशिष्टताओं/विशिष्टि के अनुरूप कार्यान्वित कराकर एकरारनामा एवं सुसंगत वित्तीय प्रावधानों के पालन उपरान्त पूर्णतः संतुष्ट होकर ही राशि की निकासी एवं व्ययन करेगें।

(ग) वित्त विभाग की संकल्प संख्या एम–4–53/2007–3758/वि0, दिनांक–31.05.2017 में निहित निदेशो का अक्षरशः पालन किया जाएगा तथा बिहार वित्त नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में योजना में उपबंधित राशि की उपलब्धता के आधार पर व्यय की जाएगी।

(घ) यह राशि उसी मद में खर्च की जाएगी जिसके लिए पुर्नविनियोजित की गयी है, अन्य मद में नहीं।

(ड.) प्राक्कलन की विशिष्टताओं के अनुसार निर्धारित समयावधि के अन्दर कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाएगा।

(च) योजना के कार्यान्चयन के क्रम में इनका निर्धारित निरीक्षण, सरकार से निर्गत आदेशों में प्रावधानित सक्षम नियंत्री पदाधिकारियों द्वारा नियमित अंतराल पर अनिवार्य रूप से किया जाएगा एवं कार्यो को स–समय तथा गुणवत्तापूर्वक सम्पन्न कराना सुनिश्चित कराया जाएगा। योजना के कार्यान्वयन में अनियमितता की स्थिति में दोषी पदाधिकारी उत्तरदायी माने जाएगे।

(छ) संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा योजनाओं का वित्तीय एवं भौतिक प्रतिवेदन प्रत्येक माह की पाँच तारीख तक ऑनलाईन प्रविष्टि कराते हुए अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता के माध्यम से विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे।

9. स्वीकृत्यादेश प्रारूप आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जा रहा है। आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–BRRDA(HQ)-MMGSY-**218/18** पृष्ठ संख्या–13/टि0 पर दिनांक **09.07.2019** को प्राप्त है।

विश्वासभाजन

सरकार के अपर सचिव
15/7/19

ज्ञापांक: BRRDA(HQ)-MMGSY-**218/2018** 676 /पटना, दिनांक– 15-7-19

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव, प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (आय–व्यय शाखा)/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग/प्रमण्डलीय आयुक्त, दरभंगा/जिला पदाधिकारी, मधुबनी/उपविकास आयुक्त, मधुबनी/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना/अवर सचिव, बजट शाखा, ग्रामीण कार्य विभाग/मुख्य अभियंता–3, पटना/मुख्य अभियंता–4/अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल, दरभंगा/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, **जयनगर** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित तथा IT Manager, ग्रामीण कार्य विभाग को विभाग के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव
15/7/19